-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा ट्रैक्टर की बैट्री चोरी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 10 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की बैट्री बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.05.2026 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा ट्रैक्टर की बैट्री चोरी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 10 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना नरैनी क्षेत्र के रहने वाले ओमकरन द्वारा थाना नरैनी पर सूचना दी गई कि दिनांक 01.05.2026 को सुबह भोर में नरैनी रोड स्थित एक मैरिज गार्डेन से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके ट्रैक्टर की बैट्री चोरी कर ली गई है। सूचना पर थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों, वैज्ञानिक एवं तकनीकि माध्यमों के माध्यम से अभियुक्त की पहचान करते हुए सूचना के 10 घण्टे के भीतर अभियुक्त को पाड़ादेव मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से चोरी की बैट्री को भी बरामद किया गया।

बरामदगी-

- 01 ट्रैक्टर की बैट्री (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय उर्फ बबलू पुत्र विजय निवासी कछार पुरवा अंश बांसी थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 84/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. म0उ0नि0 श्रीमती रक्षा देवी
2. का0 जितेन्द्र यादव
3. कां0 अतुल राठौर